राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2324/2007/जयपुर

मैसर्स राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–तृतीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :30.04.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक **03.08.2007** जो अपील क्रमांक 138/अतिआ(अपील्स)/674/1997–98 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 10(3) के तहत् निर्धारण वर्ष 1993–1994 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 22.04.1995 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर, कुछ बिन्दुओं पर प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जानो को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी सिलेण्डर का निर्माता है जिसके संबंध में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा आलोच्य निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 7–एए के तहत् शास्ति ₹2,840/– आरोपित की गयी। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संदेय कर राजकोष में देरी से जमा करवाने के कारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत् ब्याज ₹1,58,300/– व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(8)एफडीग्र–IV/91–111 दिनांक 06.03.1991 के आलोक में चाहे गये सेट ऑफ को कम दर से स्वीकार कर, आलोच्य अवधि के संबंध में निर्धारण आदेश दिनांक 22.04.1995 पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संदेय कर राजकोष में देरी से जमा करवाने के कारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत् ब्याज ₹1,58,300/– को अपास्त कर, उक्त बिन्दु पर

लगातार.....2

प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, अधिनियम की धारा 7—एए के तहत् आरोपित शास्ति व प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा सेट ऑफ के बिन्दु पर पारित निर्धारण आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 7—एए के तहत् शास्ति आरोपित करने से पूर्व विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है जो एक विधिक आवश्यकता है । इसी प्रकार कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 1989—90 के संबंध में पारित निर्धारण आदेश दिनांक 25.08.1993 के तहत् 2,85,363/— रिफण्ड योग्य निर्धारित किये गये थे जो कि विभाग के पक्ष में आलोच्य अवधि के निर्धारण आदेश पारित करन की तिथि राजकोष में जमा थी फिर भी प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संदेय कर राजकोष में देरी से जमा करवाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् ब्याज ₹1,58,300/— आरोपित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है विशेषतः ऐसी स्थिति में जब विभाग द्वारा राशि 2,85,363/—पर अपीलार्थी व्यवहारी को कोई ब्याज प्रदान नहीं किया गया है । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर से स्वीकार किये गये सेट ऑफ के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी सिलेण्डर्स का निर्माता है एवम् उक्त वस्तु ऑयरन स्टील होने के कारण जारी विज्ञप्ति दिनांक 06.03.1991 के आलोक में, 2.5 प्रतिशत की दर से 1,04,87,999/— पर सेट ऑफ प्राप्त करने का अधिकारी था । अतः उक्त अधिसूचना के आलोक में, उक्त शेष रहे1.5 प्रतिशत की दर से सेट ऑफ प्रदान किये जाने की प्रार्थना कर, उक्त बिन्दुओं पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 7—एए के तहत् आरोपित

लगातार.....3

शास्ति का प्रश्न है, रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा शाास्ति आरोपण से पूर्व नोटिस जारी किये गये हैं जो रिकॉर्ड पवत्रावली के पृष्ठ संख्या 8 व 9 पर उपलब्ध है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गयी है । अतः उक्त बिन्दु पर पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

7. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संदेय कर राजकोष में देरी से जमा करवाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् ब्याज ₹1,58,300/— का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विभाग/राजकोष में जमा राशि के सत्यापन बाद निर्धारण अधिकारी को उचित रूप से कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जिसके संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त— राजस्थान, जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1165/दिनांक 11.01.2008 के अतिरिक्त आयुक्त, (विधि) वाणिज्यिक कर विभाग, राजसथान, जयपुर को यह टिप्पणी प्रेषित की गयी है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को जरिये आदेश दिनांक 10.10.2007 के प्रतिप्रेषित किया गया है जिसका समयावधि में निष्पादन कर दिया जायेगा । अतः उक्त बिन्दु पर भी पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

8. हस्तगत प्रकरण में जहां तक प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर से अस्वीकृत किये गये सेट ऑफ का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.1991 का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार हैः—

In exercise of the powers conferred by S.4(), RST Act, 1954, and in suppression of this department notification dated 27-06-1990 the State Government hereby with immediate effect, exempts from tax, the sale of iron and steel to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 1-5% on the following conditions-

(1) That such iron and steel is used as raw material in the manufacture of iron and steel within the State of Rajasthan.

(2) That such manufactured iron and steel is sold within the State or in the course of inter state trade or commerce and

लगातार.....4

(3) That such manufacturer shall issue a declaration to this effect in the Form ST-17 appended to the RST Rules, 1995 to the selling dealer.

9. उक्त बिन्दु के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14(IV) की धारा के तहत् परिभाषित वस्तुओं का अध्ययन किया गया जिसमें **"ऑयरन एण्ड स्टील"** परिभाषित है जिसके तहत् अपीलार्थी व्यवहारी के उत्पाद सिलेण्डर सम्मिलित नहीं है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी संदर्भित अधिसूचना के तहत् सेट ऑफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । विद्वान अभिभाषक द्वारा इस संबंध में सेन्ट्रल एक्साईज टैरिफ एक्ट के चेप्टर 73 के तहत् "आर्टिकल्स ऑफ ऑयरन एण्ड स्टील" के तहत् टैरिफ आईटम 7311.00.10 का हवाला दिया है जिसमें एल.पी. जी. सिलेण्डर अंकित है, परन्तु उक्त आधार पर "ऑयरन एण्ड स्टील" उत्पाद मानकर ही राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.1991 के उप–बिन्दु (ii) के तहत् आच्छादित होना प्रकट कर, जारी अधिसूचना के तहत् सेट ऑफ का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है परन्तु सेन्ट्रल एक्साईज के टैरिफ एक्ट के उपरोक्त वर्णित चैप्टर में स्पष्टतः "आर्टिकल्स ऑफ ऑयरन एण्ड स्टील" अंकित है अर्थात् ऑयरन स्टील से निर्मित उत्पाद हैं। यह सही है कि इसमें "ऑयरन एण्ड स्टील" जो केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 में वर्णित ऑयरन व स्टील उत्पाद भी सम्मिलित है । परन्तु उपर्युक्त वर्णित चैप्टर 73 के तहत् वर्णित टैरिफ आईटम्स उक्त अधिसूचना दिनांक 06.03.1991 के लिये वर्णित "ऑयरन एण्ड स्टील" को परिभाषित नहीं करते हैं। उक्त अधिसूचनान्तर्गत केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14(IV) में वर्णित आईटम्स ही निर्णायक "ऑयरन एण्ड स्टील" हैं जिसमें गैस सिलेण्डर सम्मिलित नहीं है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी उक्त अधिसूचना के तहत् चाहे गये सैट ऑफ का हकदार नहीं है । तद्नुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

10. परिणामतः, प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

30.4.2014

(मदन लाल)
सदस्य